सरल कानूनी ज्ञान माला – 41

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 एवं

विकलांगों के कानून एवं

अधिकार

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@gmail.com , ukslsanainital@gmail.com**

1. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

आदमी कभी खुष होता है, तो कभी दुःखी भी हो सकता है। कभी चिंता और डर भी सताते हैं तो कभी बेचैनी और घबराहट भी बढ़ जाती है। कभी आषा जगती है, तो कभी हम निराष भी हो जाते हैं। सभी कुछ एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन इनमें से कोई भी लक्षण लम्बे समय तक नहीं बने रहना चाहिए। अगर निराषा लम्बी हताषा बन जाये और दुःख या डर लम्बे समय तक बने रहे, तो यह मानसिक बीमारी में बदल जाते हैं।

समय पर सही सलाह व इलाज मिलने से सामान्य मानसिक बीमारियों को जल्दी दूर किया जा सकता है। मानसिक रोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर को मनोचिकित्सक कहते है। अक्सर हमारे यहॉ इन डॉक्टरों से सलाह–इलाज लेने वालों को लोग पागल समझ बैठते हैं। परिवार वालों का रवैया भी ठीक नहीं होता है। इससे मानसिक रोग ठीक होने के बजाय बढ़ता रहता है। कई बार तो मानसिक रोगी को डॉक्टर के पास तब लाया जाता है जब पानी सिर से ऊपर हो चुका होता है।

लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना जरूरी है। सभी को यह जानना जरूरी है कि हर मानसिक समस्या गंभीर मनोरोग नहीं हैं। हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता। हमारे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। इनमें मानसिक रोगी भी रहते हैं। परिवार एवं समाज के द्वारा इनके साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने **मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987** लागू किया हैं। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार, कानूनी सुरक्षा व इलाज की सुविधाओं को तय किया गया है।

मानसिक रोगी किसे कहते हैं?

- इस कानून में मानसिक रोगी उसे माना गया है जो किसी मानसिक विकलांगता से पीड़ित होता है।

मानसिक रूप से बीमार कैदी किसे कहा जाता है?

- इस कानून की धारा 27 के अन्दर ऐसा कैदी जिसका इलाज किसी मनोरोग अस्पताल में भर्ती रख कर चल रहा हो, उसे मानसिक रूप से बीमार कैदी कहा जाता है।

मनोरोग नर्सिग होम, जेल, सुधार घर या अन्य सुरक्षित जगह पर रखे गये मनोरोगी भी इसमें षामिल होते हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकार इनके लिए कौन–कौन सी सुविधाएं देती हैं?

- भारत सरकार देष में कहीं भी मनोरोग इलाज के अस्पताल और नर्सिग होम खोल सकती है। राज्य सरकारें भी अपने–अपने राज्य में इस तरह के अस्पताल व नर्सिग होम खोल सकती है। इनमें मानसिक रूप से बीमार लोगों को भर्ती किया जाता है जहां उनका इलाज व बेहतर देखभाल की जाती है।
- 16 साल से कम उम्र के मनोरोगी के लिये अलग से अस्पताल खोले जाते हैं।
- षराब और अन्य नषीली चीजें लेने वाले मानसिक रोगी और किसी अपराध के दोशी मानसिक रोगियों के लिये भी अलग से मनोरोग अस्पताल एवं नर्सिग होम खोले जाते हैं।

इन अस्पतालों एवं नर्सिग होम में इलाज के लिये भर्ती होने का तरीका क्या है?

- खुद को मानसिक रोगी समझने वाला व्यक्ति इलाज के लिए डॉक्टर से भर्ती होने का आवेदन कर सकता है। इन्हें स्वयं की इच्छा पर भर्ती होने वाला रोगी कहा जाता है ।
- अगर मानसिक रोगी बच्चा है तो माता– पिता या पालक उसे भर्ती कराने का आवेदन डॉक्टर को दे सकतें हैं।
- डॉक्टर 24 घण्टे के भीतर इनकी जांच करेगा जिससे पता चलता है कि मरीज को भर्ती करना जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी होगा तभी भर्ती किया जायेगा।
- अस्पताल में भर्ती मरीज को वहां के नियमों का पालन करना होगा।
- मानसिक रोगी द्वारा या मानसिक रोग पीड़ित बच्चे के माता–पिता द्वारा आवेदन करने के 24 घण्टे में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है।

विषश रोगियों के लिये भर्ती का क्या तरीका होता है?

- अगर कोई मानसिक रोगी खुद आवेदन नहीं कर सकता है, तो उसके दोस्त या रिष्तेदार यह काम कर सकते हैं। डॉक्टर जांच करता है। जरूरी हुआ तो इलाज के लिए भर्ती कर लिया जाता है।

- अस्पताल में 90 दिन से ज्यादा भर्ती नहीं रखा जा सकता है।
- रोगी की छुट्टी के लिये कोई भी दोस्त या रिष्तेदार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मिलने पर मजिस्ट्रेट उस दोस्त या रिष्तेदार को नोटिस जारी करेगा जिसने भर्ती कराया था। इस बारे में जांच–पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट को उचित लगेगा तो आवेदन स्वीकार होगा या खारिज किया जायेगा।

ग्रहण करने के आदेष के लिये आवेदन किसे करते हैं?

- मानसिक रोगी की स्थिति यदि चिन्ताजनक है तो उसे कभी–कभी 6 महीने से ज्यादा भी भर्ती रखना पड़ सकता है। ऐसे मरीज के लिये पति–पत्नी या किसी रिष्तेदार द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसे स्वागत आदेष के लिये आवेदन कहा जाता है। यह आवेदन मनोरोग अस्पताल का डॉक्टर भी कर सकता है। यह आवेदन मजिस्ट्रेट को किया जाता है।
- मानसिक रोगी की सेहत, सुरक्षा तथा वह दूसरे लोगों को हानि न पहुंचाए, इसलिये भी इन्हें अस्पताल में रखना जरूरी होता है।

मानसिक रूप से बीमार लोगों के बारे में पुलिस की क्या जिम्मेदारी है?

- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बाहर घूमते हुए यदि अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो पुलिस थाने का अधिकारी उसे अपनी सुरक्षा में लेगा।
- मानसिक रोगी अगर दूसरे लोगों के लिये खतरनाक हो सकता है, तो उसे भी पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में लेगा।
- पुलिस अधिकारी ऐसे रोगी के रिष्तेदारों व दोस्तों को इस बारे में सूचना देगा।
- ऐसे मानसिक रोगी को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेष करेगा। मजिस्ट्रेट के आदेष के बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

मानसिक रोगी के हित में मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

- मजिस्ट्रेट मानसिक रोगी की समझने की क्षमता की जांच डॉक्टर से कराते हैं। जांच के बाद मानसिक रोगी की सेहत व सुरक्षा के लिए उसे अस्पताल में रखा जा सकता है। लोगों के लिये मरीज के खतरनाक होने पर भी ऐसा आदेष दिया जा सकता है।

- गैर मानसिक रोगी को अपने साथ ले जाने के लिये संबंधी को मजिस्ट्रेट के यहॉ आवेदन देना पड़ता है जिसके लिए उसे एक बंधपत्र/बांड भरना होता है।
- अगर किसी मानसिक रोगी के साथ उसके अपने संबंधी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे है, तो इसकी सूचना पुलिस को देना जरूरी है। थाना प्रभारी इसकी सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट को देंगे।
- ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट मानसिक रोगी को पेष करने का आदेष दे सकते है। इसके लिए रिष्तेदार को भी अपने सामने सम्मन जारी किया जा सकता है।
- आदेष के बाद भी यदि मनोरोगी की सही देखभाल नहीं होती तो संबंधी या रिष्तेदार को 2000/—रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
- मानसिक रोगी का कोई कानूनी रिष्तेदार नहीं होने पर मजिस्ट्रेट उस रोगी को मानसिक अस्पताल में रखने की कार्यवाही अपनायेगा।

क्या सरकार द्वारा जांच दल भी बनाया जा सकता है?

- हां, राज्य सरकार या भारत सरकार मानसिक रोगियों के लिये बनाये गये अस्पतालों एवं नर्सिग होम की जांच (निरीक्षण) के लिये जांच दल बनायेगी। इस दल में कम से कम पांच निरीक्षक होंगे। एक मनोरोग डॉक्टर व दो सामाजिक कार्यकर्ता होना जरूरी है।

मानसिक रोगी को अस्पताल से छुट्टी कब मिलती है?

- मानसिक रोगियों की अस्पताल में दो डॉक्टर रोगी की जांच करते हैं। इनमें एक मनोरोग चिकित्सक होता है। ये दोनो डॉक्टर रोगी के ठीक होने की रिपोर्ट अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर को सौंपते है। रिपोर्ट व मरीज की स्थिति से सहमत होने पर वह मरीज को छुट्टी देने का आदेष दे सकता है।
- मानसिक रूप से बीमार मरीज खुद भी अस्पताल से छुट्टी की अर्जी दे सकता है।
- अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर को यह लगता है कि मरीज दूसरे लोगों के लिये खतरनाक नहीं होगा, तो वे उसे छुट्टी दे सकते हैं।

इस कानून के द्वारा मानसिक रोगी की सम्पत्ति की देखभाल कैसे की जा सकती है?

- मानसिक रोगी की सम्पत्ति की देखभाल के लिये रिष्तेदार, उत्तराधिकारी, वकील की अर्जी पर कोर्ट मानसिक रोगी की जांच करवाती है।
- जांच में मरीज को सम्पत्ति की देखभाल करने लायक नहीं पाये जाने पर कोर्ट किसी को प्रबंधक बनाती है।
- प्रबंधक या पालक मानसिक रोगी, उसकी सम्पत्ति व उस पर निर्भर लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभालते है।

क्या मानसिक मरीजों के भी मानवाधिकार होते हैं?

- हॉ, मानसिक मरीजों के भी मानवाधिकार होते हैं। इलाज के दौरान इनके साथ षरीरिक या मानसिक क्रूरता नहीं की जा सकती है।
- इलाज के समय इन पर कोई प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। जब तक यह उनकी भलाई के लिये नहीं हो।

मानसिक रोगियों का अवैध अस्पताल खोलने पर क्या सजा मिलती है?

- इस कानून के खिलाफ कोई भी मानसिक रोगियों का अस्पताल नहीं खोल सकता है।
- ऐसा करने वाले को तीन महीने की जेल या 200 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। या दोनों भुगतना करने पड़ सकते हैं।
- दोबारा ऐसा गुनाह करने पर अपराधी को 6 महीने की जेल या 1000 रूपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। या दोनों भुगतना पड़ सकता हैं।
- ऐसे गैर कानूनी अस्पताल में मानसिक रोगी को भर्ती करने पर 2 साल तक की जेल या 1000 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता हैं। या दोनों भी भुगतना पड़ सकते हैं।
- इस कानून के नियम या प्रावधानों के खिलाफ जाने पर 6 महीने की जेल या 500 रूपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जेल या जुर्माना दोनों भी भुगतना पड़ सकता हैं।
- अगर किसी केस में मानसिक रोगी अपनी तरफ से वकील नहीं रख पा रहा है तो कोर्ट निषुल्क वकील की सुविधा देती है।

- राश्ट्रीय राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी मानसिक रोगी को निषुल्क कानूनी सहायता देती है।

2. विकलांगों के कानून एवं अधिकार

प्रष्न– हमारे देष में किस तरह के कितने विकलांग है?

उत्तर– दुनिया में विकलांगों की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा है। हमारे भारत में चार करोड़ से ज्यादा विकलांग लोग रहते हैं। इनमें एक करोड़ के लगभग नेत्रहीन हैं। पच्चीस लाख लोग सुन नहीं सकतें हैं। करीब साठ लाख लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई अंग नहीं हैं। अकेले मन्दबुद्वि लोगों की संख्या डेढ़ करोड़ के आसपास है।

प्रष्न– किन–किन कारणों से विकलांगता होती है?

उत्तर– विकलांगता के कई कारण होते हैं। विकलांगता जन्म से भी हो सकती है। काम करते हुए या सड़क दुर्घटनाओं में भी लाखों लोग विकलांग हो जाते हैं। षारीरिक और मानसिक रोग भी विकलांगता का एक बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक आपदा के कारण भी लोग अपंगता के षिकार हो जाते हैं। कभी–कभी खानपान की कमी एवं नषे के कारण भी विकलांगता का षिकार होना पड़ता हैं। विकलांग लोगों को भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें अपने अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है।

प्रष्न– विकलांगों के अधिकारों की रक्षा के लिये कौन–कौन से कानून हैं?

उत्तर– इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ''विकलांगता अधिनियम, 1995'' बनाया गया है। यह कानून उन्हें समान अवसर दिलाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया है। यह कानून विकास से जुड़े हर कामों में इनकी पूरी भागीदारी भी तय करता है।

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करता है।
- मंद बुद्वि, बहु–विकलांगता, लकवा आदि से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु राश्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 बनाया गया है।

- भारतीय पुनर्वास परिशद् अधिनियम (संषोधन) 2000 पुर्नवास तथा विषेश षिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रषिक्षण आदि के लिये बनाया गया है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान है।

प्रष्न– कानून में किस तरह के विकलांगों को लाभ की पात्रता होती है?

उत्तर – कानून के अनुसार नेत्रहीन, बेहद कमजोर दृश्टि के लोग लाभ के अधिकारी होते हैं।

- जिन कुश्ठ रोगियों का रोग ठीक हो चुका है लेकिन इसके कारण किसी तरह की अंपगता के षिकार लोग कानूनी लाभ पा सकते हैं।
- न सुन पाने वाले, चलने फिरने में असमर्थ, मानसिक रोगी एवं मंद बुद्धि व्यक्ति भी कानूनी लाभ के हकदार होते हैं। ऊपर लिखे सभी तरह के विकलांग लोगों को लाभ लेने के लिये डॉक्टर का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। किसी भी तरह के कम से कम 40 प्रतिषत विकलांग व्यक्ति ही लाभ के पात्र होते हैं।

प्रष्न– कानून विकलांगों को रोजगार के कौन–कौन से अवसर देता है?

उत्तर– सरकार के हर विभाग में 3 प्रतिषत पद विकलांगों के लिये आरक्षित होते हैं। इनमें नेत्रहीन या कमजोर दृश्टि, कम सुनने वाले, लकवा ग्रस्त लोगों के लिये एक–एक प्रतिषत पद होते है।

- गरीबी उन्मूलन की सभी स्कीमों मे विकलांग लोगों के लिये तीन प्रतिषत पद आरक्षित होते है। ऐसे लोगों के लिये अतिरिक्त पद भी बनाया जा सकता है।

प्रष्न– यह कानून कार्यस्थल पर विकलांगों के साथ भेदभाव को किस तरह रोकता है?

उत्तर– सरकारी विभागों में विकलांग लोगों को विकलांगता के कारण पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी करते समय विकलांग होने पर नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है। पद से नीचे भी नहीं किया जा सकता हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

यदि ऐसे व्यक्तिः–

1– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,

2– संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,

3– सभी महिलायें एवं बच्चे,

4– सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,

5– बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

6– औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

7– जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8– भूतपूर्व सैनिक,

9– हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,

10– वरिष्ठ नागरिक,

11– एच0आई0वी0/एडस से संक्रमित व्यक्ति,

12– ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3,00,000/– से कम हो।

नोट :– क्रम संख्याः 1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल